

प्रस्तुति 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन—पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लापू न हो, उसे काट दें।

भाग—1

(पान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अध्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अध्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

आधारी का नाम पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान रामा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग—2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अध्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए ०२-पात्रजन्म सं०५२०८ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अध्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

आधारी का नाम २१ अप्रृष्ट इंद्रियाल कार्त्तिक

पिता/माता/पति का नाम २१ अप्रृष्ट इंद्रियाल जौहा

उसका डाक पता काली क्लाउ, लैटिशा, कार्ड नं० १२, गोपन्नपाट्टा

उसका नाम ०२ पात्रजन्म भव्यार्थी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट ०३-बीलियाविधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या २५ में क्रम सं० ५०२ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपर्युक्त है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	०४-लैलिया	३७	२५२	नीरज कुमार जायेसवाल	Niraj Jaiswal	२३-५-१५
२	०४-बैठिया	३७	२५५	सिंज कुमार आश्तांजायेसवाल	Ashutosh Jaiswal	२३-५-१५
३	०४-झारौंगड़ा	२४	१२३	अमृज पुर्ण कुर्सान	Amrit Singh Kurson	२३-५-१५
४	०४-केतिया	२४	६००	सौ. अमृत कुर्सान	S. Amrit Kursan	२३-५-१५
५	०४-केतिया-	२४	५५१	मधीर निहां	Madher Nihang	२३-५-१५
६	०४-केतिया	२४	५९१	दुर्गा लोकाम	Durga Lokam	२३-५-१५
७	०४-लैलिया	२४	६४५	सौ. शाह कुमार शाह	Shah Kumar Shah	२३-५-१५
८	०४-लैलिया	२४	८८७	मोह. महेश्वर नाथ	Moheshwar Nath	२३-५-१५
९	०४-लैलिया	२४	३१५	अमेवाला शाह	Amewala Shah	२४-५-१५
१०	०४-केतिया	२४	४१३	तुर्कनामामा	Turknamama	२४-५-१५

कृपया ध्यान दें :— प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग— ३

मैं भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दे) में उल्लिखित अन्यथी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने सीताम् (३७) वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे स्थ (i) या स्थ (ii) जो लागू न हो उसे काट दे)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और संपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में राजनीतिक दल दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो संजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अन्यथी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दे) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिनान क्रम में (i) Table Lamp . (ii) Trumpet (iii) Tooth Brush हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर फ्रेनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(d) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार भै लोक समा का रथान भरने के लिए पुने जाने के लिए अहिंत हैं और निरहित भी नहीं हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू नहीं
राज्य के उस राज्य में के लागू नहीं (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित लागू नहीं
**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि पुझे लोक समा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 23/4/14

लागू नहीं (अन्यथा)
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले राज्य काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इत्यैरा को काट दे।

कृपया ध्यान दें — “मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवेटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल ऊपरित है।

भाग— 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- | | |
|--|-----------|
| (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम— 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की— | |
| (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या | |
| (ख) उपधारा (2) में दिनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए | हों/नहीं |
| सिद्धदोष ठहराया गया है ; या | |
| (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) तिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है | लागू नहीं |
| यदि उत्तर ‘हों’ में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देना : | |
| (i) गामता / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक | लागू नहीं |
| (ii) पुलिस थाना (थाने) | लागू नहीं |
| जिला (जिते) | लागू नहीं |
| राज्य | लागू नहीं |
| (iii) संबंद्ह अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संशिक्षित विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था | लागू नहीं |
| | लागू नहीं |
| (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) | लागू नहीं |
| (v) यह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था | लागू नहीं |

- (vi) अधिकारित दड़ कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुनाने (जुमानों) की राशि उपदर्शित करें _____
लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के बिल्ड कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हैं / नहीं
लागू नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएँ :-
लागू नहीं
- (x) उस च्यायालय (उन च्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :-
लागू नहीं
-
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है
लागू नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
लागू नहीं
 (ख) पारित जादेश (आदेशों) की प्रकृति
लागू नहीं

स्थान :- बोतल यां

तारीख :- 23/04/14

२५० ३५२११८८८०
 (अम्यथी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा मरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 26

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 24.4.2014 (तारीख) को 12.30 PM (बजे) *अम्यथी/प्रत्यक्ष द्वारा परिदृश्य किया गया।

तारीख 24.4.2014

निर्दर्शनीय आफिसर द्वारा
 ११-प्रत्येक रम्पाला संतुष्टिपूर्ण ढंग से

*जो शब्द लाभ न हो उसे काट दीजिए।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख _____

(रिटर्निंग आफिसर)

COURT FEE Rs. 0000100

23.4.2014

प्र० 26

Authorisation No 599

275349

BIHAR

INDIA

(नियम 4क देखिए)

१५८
२४.४.१४

AUTHORITY
of Materials etc.

SHANKAR PRABAD
MOTIY PUBLIC BETIA



०३-य०३८८८-स०८४२४१
नियम क्षेत्र से लोक चमी (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष अस्थर्थी हाराय प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं शंकर प्रबाद अश्वत्त पुत्र/पुत्री/प्रली सुविद्ध राम सुजुजा जी आयु ३७ वर्ष,
जो लाई नॉ. १२, कानौनी बाजार, वाना, बैतिया नगर, जिला - पटना, देश - भारत
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अस्थर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/
करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ -

- (1) मैं राजनीतिक दल का नाम (राजनीतिक दल का नाम) हाराय खड़ा किया गया अस्थर्थी/एक स्वतंत्र अस्थर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम ०३-य०३८८८४२४१-स०८४२४१ बिपार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में माग सं० २५ के क्रम सं० ५०२२ पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/अस्थायक है/है ९७०८९३३१०१
मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है नहीं है
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं है

(4) स्थाई तेखा संख्याक (पीन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :-

क्रम सं.	नाम	पीन	दितीय वर्ष जिसके लिए अतिप्रायक विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (स्पष्ट न)
1.	स्वयं	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
2.	पति या पत्नी <u>तुसरत प्रवीण</u>	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
3.	आनित-१	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
4.	आनित-२	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
5.	आनित-३	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी



24.04.2014
No. १८३७/०६

Page 1 of 10

कृष्ण रामचंद्र

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दृढ़नीय किसी अपराध(अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय हारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिरक्षा ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दृढ़नीय किसी अपराध के लिए न्यायालय हारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण व्यारे	लाभू न६१
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लाभू न६१
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाभू न६१
(घ)	न्यायालय की विचारना की गई आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	लाभू न६१
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विचारित किए गए थे	लाभू न६१
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सदाच अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/ हैं	लाभू न६१

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय हारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त पद (i) में वर्णित मामलों से जिन] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाभू न६१
(ख)	उन मामलों के व्यारे, जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लाभू न६१
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल यों गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यारे	लाभू न६१

(6) मझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) ने निर्दिष्ट था उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से जिन, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दबदेस दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त लप में सिद्धदोष ठहराया गया और दडादिष्ट किया गया है तो वह निनलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का ददादेश दिया गया है:

(क)	उन मापलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मापल संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	यहा सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिशक्ति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1— संयुक्त स्वाभित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य रट्टीक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिवित अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— एकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	75,000/-	35,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा (जिनमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	SBI S/C No -1693773246 Rs-1,34,397.73 SBI BTM SBI 30/8196694 Rs-1,09357264 Allahabad Bank ATM R/H No 00052230077 Rs 1,37,964.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Rs 1,37,964.00

Page 3 of 10



	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और जन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा शुल्कों में विनियोग के बारे और रकम	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनियोग के बारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय तिखतों में विनियोग और रकम	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिन और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है
(vi)	मोटरसायान/गाड़ीयान/याट/पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रम करने का तर्फ और रकम)	प्रोटो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस 822222 1100 प्रैक्टिस 20/2 36 रुपये/म	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के बारे)	अंग्रेजी 1500/-	माना-1530 2,45000/- आप-10000 8,4400/- 48,400/-	लागू है	लागू है	लागू है
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावा/ठिकाना का मूल्य	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है
(ix)	समर्प कुल मूल्य	462,418/-	84,400/-	लागू है	लागू है	लागू है

आ. स्थावर आस्तियों के बारे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रालौप ने पृष्ठकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्थान	पति या पत्नी	आस्ति-1	आस्ति-2	आस्ति-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याए) क्षेत्र(एकड़ में कुल माप) वया विवाहसत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है	लागू है



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लग्न तरी				
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लग्न तरी				
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लग्न तरी				
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	लग्न तरी				
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लग्न तरी				
	व्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	लग्न तरी				
	स्वार्जित संपत्ति की दशा ने क्रय की तारीख	लग्न तरी				
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लग्न तरी				
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लग्न तरी				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लग्न तरी				
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	लग्न तरी				
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लग्न तरी				
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लग्न तरी				
	व्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	लग्न तरी				
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लग्न तरी				
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लग्न तरी				
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लग्न तरी				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लग्न तरी				
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	लग्न तरी				



क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लागतही	कुलही	निवासी	लागतही	लागतही
निश्चित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लागतही	कुलही	निवासी	लागतही	लागतही
क्या विरासत में जाई सपति है(ला या नहीं)	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
स्वार्जित सपति की दशा में क्रय की तारीख	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
क्रय के समय भूमि को लागत(क्रय की दशा में) विकास, संनिर्माण आदि के भाव्यम से भूमि पर कोई विनियान अनुमानित चालू बजार मूल्य	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
(v) अन्य (जैसे कि सपति में हित)	लागतही	लागतही	सपत्ती	लागतही	लागतही
(vi) पूर्णका (i) से (v) का कुल चालू बजार मूल्य	लागतही	लागतही	सपत्ती	लागतही	लागतही

6) म. लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वा/को शोध्यों के बारे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समझ रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	दिवरण	स्वयं	पति या फली	आश्रित- 1	आश्रित- 2	आश्रित- 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति पूर्णका समिति से मिन किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
		लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
		लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
		लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले शिभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले शिभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
		लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही
		लागतही	लागतही	लागतही	लागतही	लागतही



विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू हो	लागू होती	लागू हो	लागू होती
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विमाप को शोध्य	लागू नहीं	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
सरकारी परियहन (यथुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विमाप को शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
आय-कर शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
धनकर शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
सेवाकर शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
विक्रयकर शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
कोई अन्य शोध्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विद्याधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम जौर उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो

9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं व्यवसाय, नगूड थार्ड

(ख) पति या पत्नी मुहूर्ती

10) मेरी गौक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है-

विद्यार्थी इनशिफ्ट स्टार्ट अप्रिल २०१५ तक

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/पहाविद्यालय/पिश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दो)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक मे दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमा० र० अ० अ० ड० ड० अ० अ० अ०
2	ठाक का पूरा पता	वाडी-न.०१२, कूलां वाडा, घाना-कैशगां नगूड जिला-द० अ० प० अ० प० अ०
3.	निवासन सेव की संख्या और नाम तथा जात्य	०२ पांडिचं अम्पारा, विद्या०

4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अन्यथा को खड़ा किया है(अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)	लाइ-इंडी
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायात्मक द्वारा अवरोध विवरित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायात्मक (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है [उपर पद (i) में उल्लिखित मामलों से फिल]	लाइ-इंडी
6	ऐसे खुल भाषतों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ढहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [तोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की पारा 8 की उपचारा (1), उपचारा (2) या उपचारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लाइ-इंडी
7	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।
(क) अन्यथा	लाइ-इंडी	लाइ-इंडी
(ख) पति या पत्नी	लाइ-इंडी	लाइ-इंडी
(ग) आश्रित	लाइ-इंडी	लाइ-इंडी
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)	
क	विद्यरण स्वयं	पति या पत्नी आश्रित-1 आश्रित-2 आश्रित-3
जंगम आस्तिया (कुल मूल्य)	लाइ-इंडी	लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी
ख	स्थावर आस्तियां	
i	स्थावर संपत्ति की क्रम कीमत	लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी
ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी
	कि	लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी
iii	अनुमानित बत्तीमान स्थावर कीमत	लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी लाइ-इंडी



	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	ताजा दर्दी	नामांकन	दृष्टिकोण	ताजा दर्दी	नामांकन
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	ताजा दर्दी	नामांकन	दृष्टिकोण	ताजा दर्दी	नामांकन
ii	वैक, वित्तीय संस्थाओं और जन्य से ऋण (कुल)	ताजा दर्दी	ताजा दर्दी	दृष्टिकोण	ताजा दर्दी	नामांकन
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	ताजा दर्दी	नामांकन	दृष्टिकोण	ताजा दर्दी	नामांकन
ii	वैक, वित्तीय संस्थाओं और जन्य से ऋण (कुल)	ताजा दर्दी	ताजा दर्दी	दृष्टिकोण	ताजा दर्दी	नामांकन
11	रच्चरम नौसिक अहंकः ट्रॉप्प — (बैद्याश इंटर्सिडि इंस्ट्रॉइट्रिंग कॉर्स) वर्ष - 1994 (प्रैक्टिस)	प्रैमाणपत्र/डिलोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यात्मा/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरे दें।)	प्रैमाणपत्र/डिलोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यात्मा/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरे दें।)	प्रैमाणपत्र/डिलोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यात्मा/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरे दें।)	प्रैमाणपत्र/डिलोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यात्मा/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरे दें।)	प्रैमाणपत्र/डिलोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यात्मा/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाही इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग निष्पा नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्परिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विष्वेष्ट उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का भाष्मा या लंबित भाष्मों से मिन्न कोई दोषसिद्धि का भाष्मा या लंबित भाष्मों नहीं है,

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आप्तितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 23/04/94... को सत्यापित किया गया।

रुद्रप्रसाद अभिसाही

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन काइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक काइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथन वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के सम्मेश शपथ ली जानी चाहिए।

3. सभी त्तमों को नरा जाना चाहिए और कोई तान खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, व्या स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टकित या सुपार्यल्प से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पणी:

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WPC) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मध्यमें में अभ्यर्थियों हारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तम्भ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रत्युत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तम्भ भर लिए गये हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्पार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी सद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तम्भ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तम्भ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्पार दिये जाने के बाद भी स्तम्भ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी:

6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूसराष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 9309833101

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है NA

एवं मेरा लोकल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है NA

